न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा
पीठासन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :- 45/21

प्रार्थीगण :- 1. चूनाराम पुत्र छोगाराम जाति जाट उम्र 62 वर्ष निवासी –शिवनगरी, ग्राम पंचायत ग्वालनाडा तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थी :- 1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कल्याणपुर ।

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

अधिवक्तागण :- 1 श्री बी.पी गोस्वामी प्रार्थी वकील

2. सरकारी पैरोकार

आदेश दिनांक :- 05.07.2022

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 339/23 रकबा 2–13 बीघा ग्राम शिवनगरी, पटवार क्षेत्र ग्वालनाडा तहसील कल्याणपुर में अवस्थित है। जिससे लगती हुई विप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 340/23 रकबा 1–00 बीघा आई हुई है। प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत से सडक तक आवागमन हेतु रास्ता विप्रार्थी की उक्त भूमि मे से होकर गुजरना एकमात्र विकल्प है, जो आवेदन के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' में लाल से मार्क बिन्दु संख्या ए से बी से दरसाए अनुसार है। विप्रार्थी द्वारा रास्ते की भूमि अपनी खातेदारी में दर्ज होने के कारण प्रार्थी के आवागमन में बाधा उत्पन कर उसे अवरूद्ध कर दिया जाता है । बरसात के मौसम में उक्त भूमि पर काश्त कर रास्ता अवरूद्ध कर दिया जाता है । जिससे बरसात के मौसम में प्रार्थी को कृषि कार्य हेतु कृषि सयंत्र एवं ट्रेक्टर आदि अपने खेत में ले जाने में विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है । अतः प्रार्थी ने अपने खातेदारी खेत से सडक तक आवागमन हेतु रास्ता वैकल्पिक/बिला कब्जा आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दिये गये बिन्दु संख्या ए से बी के स्थान को गैरमुमकिन रास्तें के रूप में राजस्व रेकर्ड एवं लट्ठा नक्शा में दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है ।

आवेदन दर्ज कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गयी। विप्रार्थी सरकारी पैरोकार उपस्थित । वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2076–79 एवं विप्रार्थी की भूमि जिसमें से रास्ते की मांग की गयी प्रस्तुत की। आवेदन के तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार कल्याणपुर से मौका रिपोर्ट तलब की गयी ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:43:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी ।

दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी खेत से सडक तक आवागमन हेतु विप्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 340/23 में से रास्ता चाहा गया है । खसरा संख्या 340/23 मूल खसरा संख्या 23 में से समर्पण सुदा खसरा है जिसका रकबा 1–00 बीघा है जो कदीमी रूप से प्रचलित रास्ता इकलौता एक मात्र विकल्प है, जिसकी प्रार्थी को अत्यन्तिक आवश्यकता है। विप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के आवागमन में अपने अड़चने डालने पर प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पडता है ।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बालोतरा

अतः प्रार्थी हेतु रास्ता वैकल्पिक/बिला कब्जा आवेदन के संलग्न दिये नक्शा परिशिष्ट 'अ' में बिन्दु संख्या ए से बी को गैरमुमकिन रास्तें के रूप में दर्ज करवाने का अधिकारी है । प्रार्थीगण उक्त रास्ते की भूमि के बदले विप्रार्थी को डी.एल.सी दर की दुगनी राशि अदा करने हेतु सहमत है ।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य तथा तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नक्शा का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया ।प्रार्थी ग्राम शिवनगरी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 340/23 मूल खसरा संख्या 23 में से समर्पण सुदा खसरा है जिसका रकबा 1–00 बीघा भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं, जिस पर उनका कब्जा काश्त है। प्रार्थी के खातेदारी खेत एवं सडक के मध्य विप्रार्थी की उक्त भूमि अवस्थित है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी खेत से सडक तक आवागमन हेतु विप्रार्थी की उक्त भूमि के मध्य अवस्थित रास्ते से गुजरना पडता है । उक्त रास्ता विप्रार्थी द्वारा अवरूद्व किये जाने से प्रार्थी के सामने आवागमन की विकट समस्या खडी हो जाती है । तहसीलदार कल्याणपुर की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के आवागमन का इकलौता विकल्प है। जिसकी प्रार्थी को अपरिहार्य आवश्यकता है । विप्रार्थी की भूमि की डीएलसी दर 23463/– रूपये प्रति बीघा है। उक्त दर से रास्ते में प्रभावित भूमि की डीएलसी दर की दुगनी राशि 46,926/– रूपये बनती है, जो प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को अदा की जानी है

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर ग्राम शिवनगरी तहसील कल्याणपुर की खसरा नम्बर 339/23 रकबा 2–13 बीघा से सडक तक आवागमन हेतु इस ग्राम के खसरा संख्या 340/23 मूल खसरा संख्या 23 में से समर्पण सुदा खसरा है जिसका रकबा 1–00 बीघा भूमी है। तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा दिनांक 9.3.2022 को प्रेषित मौका फर्द के संलग्न नक्शे में बरंग लाल से दर्शित प्रस्तावित रास्ता ए से बी प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि रूपये 46,926/– अदा करने, और उसके द्वारा नहीं लिये जाने पर राजकोष में जमा करवाये जाने पर, गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते हैं । तहसीलदार कल्याणपुर को तदनुसार खसरा संख्या 340/23 रकबा 1–00 बीघा भूमि में से 1–00 बीघा भूमि का राजस्व रेकर्ड गैरमुमकिन रास्ते के रूप में सरकारी खाते में अमल दरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरूस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा दिनांक 09.3.2022 को प्रेषित मौका फर्द में एवं प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:43:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 05.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा